प्राक्कथन

राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में तीन भाग हैं:

भाग–एक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के विभागों की लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, समाज कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

भाग–दो में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर–जीएसटी विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

भाग–तीन छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है, जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अंतर्गत राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जो वर्ष 2019–21 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, साथ ही साथ गत वर्षों के ऐसे मामले जो ध्यान में तो आये थे परंतु पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे। वर्ष 2019–21 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है, जहाँ आवश्यक रहा हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।